स्वावलंबन

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** रक्षा

संदर्भ

- हाल ही में, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (एनआईआईओ) की प्रथम संगोष्ठी 'स्वावलंबन' 18-19 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- विदित है कि आयोजन के दौरान आईडीईएक्स डीआईएससी 7 (स्प्रिंट-एसपीआरआईएनटी) चुनौतियों का विमोचन किया गया।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

संवाद सत्र का आयोजन

- चार परस्पर सत्रों में पहले दिन विशिष्ट विषयों का उल्लेख किया गया।
- नवाचार पर पहले सत्र ने भारतीय नौसेना में सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को गति देने में उद्योग, शिक्षा और नीति की भूमिका की जांच की गई।
- एनआईआईओ के गठन के बाद से उसकी अब तक की यात्रा और आगे की राह पर विचार-विमर्श किया गया।
- नौसेना को आयुधों से सुसज्जित करने पर ध्यान देने के साथ ही दूसरे संवाद सत्र में इस विशिष्ट क्षेत्र में आत्म-निर्भरता को साकार करने के लिए भारतीय उद्योग की क्षमता का दोहन करने के उपायों पर चर्चा की गई।

- विमानन पर चर्चा के साथ तीसरे सत्र में इसके मुख्य विषय के रूप में एल्गोरिदमिक युद्ध के युग में विमानन के भविष्य की जांच की गई।
- अंतिम संवाद सत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में स्वदेशीकरण और घरेलू रक्षा उत्पादन, संबद्ध चुनौतियों और आगे की राह को आगे बढ़ाने के लिए परस्पर विचार-विमर्श किया गया।
- (एसएजीएआर - क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) पर सरकार की स्पष्ट परिकल्पना के अनुसार हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) तक पहुंच से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया गया।
- साथ ही, उद्योग जगत को 'विदेशी मित्र राष्ट्रों' के लिए अपने 'निर्यात के लिए तैयार उत्पादों' के प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया गया।

आईडीईएक्स डीआईएससी 7 (स्प्रिंट-एसपीआरआईएनटी)

- प्रधानमंत्री द्वारा आईडीईएक्स डीआईएससी 7 (स्प्रिंट-एसपीआरआईएनटी) चुनौतियों का विमोचन किया गया था।
- स्प्रिंट, रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ) और नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (एनआईआईओ) के मध्य एक सहयोगी परियोजना है।
- इसका उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में कम से कम 75 स्वदेशी प्रौद्योगिकियों/उत्पादों को विकसित करना है।

चुनौतियां

- यह चुनौतियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई), स्वायत्त एवं मानव रहित प्रणाली (सिस्टम) और सूचना प्रौद्योगिकी सहित विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में फैली हुई हैं।
- डीआईएससी (डिस्क - डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज) और आईडीईएक्स की प्रथम श्रेणी (प्राइम कैटेगरी) दोनों के तहत उन चुनौतियों पर विचार किया जाएगा, जिनमें क्रमशः 1.5 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये तक के अनुदान के प्रावधान हैं।
- इसके अतिरिक्त आईडीईएक्स ओपन चैलेंज श्रेणी के तहत नवोन्मेषकों और स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तुत स्व - प्रेरणा (सुओ मोटो) प्रस्तावों पर भी स्प्रिंट के अंतर्गत विचार किया जा रहा है।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त हों, के लिए निगरानी के कई स्तरों को लागू किया जाएगा। निकट संपर्क और इन मामलों की नियमित निगरानी के लिए एनआईआईओ और डीआईओ द्वारा संपर्क के बिंदुओं की पहचान की गई है।
- इसके अलावा, एनआईआईओ कार्य समूहों (वर्किंग ग्रुप्स) और नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलेरेशन काउंसिल (एनटीएसी) द्वारा भी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता नौसेना स्टाफ के उप-प्रमुख (वाइस चीफ) करेंगे।

नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (एनआईआईओ)

- एनआईआईओ तीन स्तरीय संगठन है। नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद (एन-टीईसी) नवाचार और स्वदेशीकरण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को एक साथ लाएगा और शीर्ष स्तर की अनुदेश प्रदान करेगा।
- एन-टीईसी के तहत आने वाला एक कार्य समूह इन परियोजनाओं को लागू करेगा।
- त्वरित समय सीमा में उभरती हुई विघटनकारी प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास त्वरण सेल (टीडीएसी) भी बनाया गया है।
- एनआईआईओ आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने पर बल देता है।
- रक्षा अधिग्रहण नीति ड्राफ्ट 2020 (डीएपी 20) में सेवा मुख्यालय द्वारा मौजूदा संसाधनों के भीतर एक नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
- भारतीय नौसेना के पास पहले से ही कार्यात्मक स्वदेशी निदेशालय (डीओएल) है और बनाई गई नई संरचनाएं चल रही स्वदेशीकरण पहलों के साथ-साथ नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

स्रोत: द हिन्दू

काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित

प्रारम्भिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** महत्वपूर्ण हस्तक्षेप और नीतियाँ, ऊर्जा

संदर्भ

- भारत सरकार ने सूचित किया कि काकरापार परमाणु संयंत्र (केएपीपी) की इकाई-3 के चरण-वार नियामक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, दिसंबर 2022 तक वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की संभावना है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- स्टार्टअप और प्रगतिशील बिजली बढ़ाने के लिए नियामक मंजूरी के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार, यूनिट के संचालन के दौरान, ग्रिड के साथ सिंक्रनाइज़ेशन के बाद, रिएक्टर भवन के कुछ क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि हुई है।
- विदित है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (केएपीपी-4) की इकाई-4 ने जून-2022 तक 93.65% की भौतिक प्रगति हासिल की है।
- निर्माणाधीन अन्य 700 मेगावाट दबाव वाले भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) में, राजस्थान के रावतभाटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन 7 और 8 ने क्रमशः 95% और 80.8% की भौतिक प्रगति हासिल की है।
- गोरखपुर, हरियाणा में जीएचएवीपी 1 और 2 के संबंध में, विभिन्न भवन और संरचनाएं निर्माणाधीन हैं।

- दस पीएचडब्ल्यूआर में, कर्नाटक के कैगा में कैगा 5 और 6, हरियाणा में गोरखपुर में जीएचएवीपी 3 और 4, राजस्थान में माही बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा 1 से 4 और मध्य प्रदेश के चुटका में चुटका 1 और 2, साइटों पर पूर्व-परियोजना गतिविधियां और लंबी अवधि की खरीद वितरण उपकरण का कार्य किया गया है।
- कैगा-5 व 6 में भी खुदाई शुरू हो गई है।

काकरापार परमाणु ऊर्जा

- स्वदेश में ही डिजाइन किया गया 700 एमडब्ल्यूई का केएपीपी-3 रिएक्टर 'मेक इन इंडिया' के तहत पूर्णतः स्वदेशी है।
- काकरापार परमाणु संयंत्र देश का 23वां परमाणु रिएक्टर है, जिसमें बिजली उत्पादन शुरू हुआ है।
- विदित है कि भारत ने तीन स्तर का न्यूक्लियर प्रोग्राम का विकास किया है। इसने क्लोज्ड फ्यूल साइकल पर आधारित एक तीन चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम विकसित किया हैं, जहां एक चरण में इस्तेमाल हुए ईंधन को फिर से प्रोसेस करके अगले चरण के लिए ईंधन बनाया जाता है।
- काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है।
- पूर्णत: भारत में निर्मित 700 एमडब्ल्यूईवाले इस प्लांट का विकास और ऑपरेशन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) ने किया है।
- इस प्लांट में 220 एमडब्ल्यूई के दो और स्टेशन केएपीएस-1 और केएपीएस-2 भी हैं।
- पहले प्लांट की शुरुआत 1993 और दूसरे की शुरुआत 1995 में हुई थी, जबकि तीसरे प्लांट की शुरुआत जून 2010 में की गई थी।

स्रोत: द हिन्दू

भारत और मालदीव के मध्य न्यायिक सहयोग

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के न्यायिक सेवा आयोग के मध्य न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को स्वीकृति प्रदान की है।
- न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच यह आठवां समझौता ज्ञापन है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

निर्णय के निहितार्थ

- यह समझौता ज्ञापन न्यायालय के डिजिटलीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों का दोहन करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगा।
- यह दोनों देशों में आईटी कंपनियों और स्टार्ट-अप के लिए एक संभावित विकास क्षेत्र हो सकता है।
- कानून और न्याय के क्षेत्र में सहयोग पर इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ, दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को और गति मिलेगी।
- यह न केवल दोनों देशों के मध्य न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को सक्षम करेगा बल्कि 'पड़ोसी देश प्रथम' नीति के उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाएगा।
- विदित है कि हाल के वर्षों में, भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ संबंध बहुआयामी रूप से प्रगाढ़ हुए हैं।

“पड़ोसी देश प्रथम" नीति

- सरकार अपनी "पड़ोसी देश प्रथम" नीति के अंतर्गत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं परस्पर लाभकारी संबंध विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध है।
- विदित है कि भारत की विदेश नीति सक्रिय रूप से भारत के निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसे सामान्यतः “पड़ोसी देश प्रथम" नीति के नाम से संबोधित किया जाता है।

- भारत अपने पड़ोसी देशों का एक सक्रिय आर्थिक साझेदार है और वह इन देशों में बड़ी संख्या में विकास परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है।
- भारत की 'पड़ोसी देश प्रथम' नीति के तहत स्थिरता एवं समृद्धि के लिए परस्पर लाभकारी, आमजन उन्मुखी, क्षेत्रीय कार्यढाँचा तैयार करने पर ध्यान दिया जाता है।
- इन देशों के साथ हमारा विनियोजन एक परामर्शी, गैर-पारस्परिकता तथा परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण पर आधारित है और साथ ही इस व्यवस्था के तहत अधिक से अधिक कनेक्टिवटी, उन्नत बुनियादी सुविधा, विविध क्षेत्रों में मजबूत विकास सहयोग, सुरक्षा तथा लोगों के व्यापक आपसी संपर्क जैसे लाभों पर ध्यान दिया जाता रहेगा।

भारत की "पड़ोसी देश प्रथम" नीति और मालदीव

- भारत हमेशा से अन्य देशों की लोकतांत्रिक संस्था का समर्थन करता है।
- विदित है कि मालदीव में आपातकाल के बाद, भारत ने मालदीव के आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। साथ ही, विभिन्न मंचों में भारत ने मालदीव की लोकतांत्रिक संस्था का समर्थन किया है।
- भारत की पड़ोस पहले नीति के अंतर्गत भारत हमेशा विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों के बीच लोकतांत्रिक संस्था, सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने पर बल देता रहा है।
- फलतः मालदीव की 'इंडिया फर्स्ट' की नीति और भारती की 'पड़ोसी पहले' की नीति केवल वाक्यांश नहीं हैं, बल्कि भारत-मालदीव संबंधों का आधार है।

भारत और मालदीप संबंध

- भारत और मालदीव पुराने समय से प्रगाढ़ और सौहार्दपूर्ण जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध को साझा करते रहे हैं।
- दोनों देशों के मध्य पारस्परिक संबंध घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी संबंधों का आधार रहा है।
- ध्यातव्य है कि भारत ने 1965 में अपनी स्वतंत्रता के बाद मालदीव को मान्यता देने और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।
- भारत ने 1972 में सीडीए के स्तर पर और 1980 में निवासी उच्चायुक्त के स्तर पर अपना मिशन स्थापित किया।
- मालदीव ने नवंबर 2004 में नई दिल्ली में एक पूर्ण उच्चायोग खोला, उस समय दुनिया भर में इसके केवल चार राजनयिक मिशनों में से एक था।

स्रोत: द हिन्दू

बनठिया आयोग

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** आरक्षण, महत्वपूर्ण निर्णय, गठित आयोग

संदर्भ

- हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण पर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए, राज्य चुनाव आयोग को बनठिया आयोग रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया।
- विदित है कि पूर्व मुख्य सचिव जयंतकुमार बनठिया आयोग ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

निर्णय

- महाराष्ट्र में होने वाले सभी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण की अनुमति प्रदान की गई है।
- न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व मुख्य सचिव जयंत बनठिया के नेतृत्व वाले आयोग की 781 पन्नों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और नगर पंचायत, नगर परिषद और बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति दी।

पृष्ठभूमि

- इस वर्ष मार्च में पूर्व मुख्य सचिव जयंत बनठिया के नेतृत्व वाले आयोग की नियुक्ति की गई थी।
- विदित है कि इसने डोर-टू-डोर सर्वेक्षण किया और पाया कि कुछ क्षेत्रों में ओबीसी की आबादी कम है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अधिक है।

- सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट का सख्ती से पालन किया गया है।
- कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि आने वाले सभी चुनावों में आरक्षण लागू होना चाहिए।

इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ और अन्य

- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ और अन्य को सामान्य तौर पर भारत में आरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- ज्ञातव्य है कि भारतीय समाज में सामाजिक-आर्थिक समानता लाने के लिए आरक्षण संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया एक गंभीर प्रयास था। विशेष रूप से, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में आरक्षण (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16)।
- वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया था, जिसे इंदिरा साहनी ने न्यायालय में चुनौती दी थी।
- इंदिरा साहनी वाद में नौ जजों की पीठ ने कहा था कि आरक्षित स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए।

भारत में 'आरक्षण' का संवैधानिक आधार	
अनुच्छेद 15 (4)	राज्य आवश्यकतानुसार, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
अनुच्छेद 16 (4)	अनुच्छेद 16(4) के अनुसार, यदि राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है।
अनुच्छेद 16 (4 ए)	अनुच्छेद 16(4A) के अनुसार, राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिये कोई भी प्रावधान कर सकती हैं, यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

स्रोत: द हिन्दू